न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर

पीठासीन अधिकारी – श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

न. मु. 82/2019

1 मोहम्मद हूसैन पुत्र नेक मोहम्मद जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 18 बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2 मुन्ना पुत्र नेक मोहम्मद जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 10 बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
3 मुमताज पुत्र गीगा जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 10 बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
4 सलीम पुत्र गफूर जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 10 बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
5 रमजान पुत्र गफूर जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 10 बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1 सलीम पुत्र युसुफ जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 10 बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2 मो. साबीर पुत्र गनी जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 10 बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
3 मो. अली पुत्र गनी जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 10 बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
4 अब्दुल कलाम पुत्र गनी जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 10 बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
5 जाकिर पुत्र शकरूदीन जाति सिलावट भुट्टा निवासी वार्ड न. 10 बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
6 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार जिला–चूरू राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति व चिर निशेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955" Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:10:18 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित –

1 श्री मोहम्मद शाहिद वकील वास्ते वादी
2 श्री आमीन शेख वास्ते प्रतिवादी सख्या 1, 5
3 पैरोकार राज.

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक :– 16-02-2021

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रोही कालेरां की ढाणी तहसील बीदासर में वादीगण और प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 5 के सयुक्त खातेदारी के खेत खेत खसरा नम्बर 109 रकबा 2.8960 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 2.8201 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 5.7161 हैक्टेयर पूर्वजों की वक्त की भूमि है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 5 का हिस्सा पांती अनुसार साधिकार पूर्वक कब्जा दखल चला आ रहा है। जिसके बाबत कभी किसी खातेदार द्वारा किसी प्रकार का उजर नहीं किया गया। पक्षकारों के पूर्वज रक्त संबधि रहे है और आपसी सुविधानुसार अपनी उपरोक्त खसरा हिस्सा भूमि के साथ ही अन्य खातेदारी खेतों का बाहमी जुबानी बन्टवारा कर काश्त किया करते थे और कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। उपरोक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 109 व खसरा नम्बर 308 में प्रतिवादी सख्या 1, 2, 3, 4 व 9 का कभी कोई हिस्सा नहीं रहा है उपरोक्त वर्णित खातेदारी खेत खसरा नम्बर 109 व 308 में हिस्सा पांती व कब्जे काश्त एवं फसल को लेकर कभी कोई विवाद वादीगण एव प्रतिवादीगण 1 ता 5 के बीच नहीं किया गया इसलिए राजस्व रेकार्ड के बारे में पक्षकारान् ने कभी कोई ज्ञान नहीं किया। पक्षकारान् प्रायः अपने काम धन्धों एवं मजदूरी के लिए प्रायः बाहर निवास करते है। प्रायः बाहर निवास करने के कारण पक्षकारान् को उपरोक्त खसरा भूमि खेत के राजस्व रेकार्ड और विभिन्न प्रकार की राजस्व विभाग की कार्यवाहीयों और प्रकियाओं से अनभिज्ञ है। उपरोक्त खेत की खातेदारी काश्त अनुसार अंकित नहीं होने का ज्ञान पक्षकारान् को नहीं रहा। वर्तमान में भूमि की किमतें ज्यादा बढ़ जाने के कारण प्रतिवादीगण गलत खातेदारी को लेकर वादीगण से आये दिन विवाद करने लगे है प्रतिवादीगण सख्या में अधिक होने के कारण वादी उनका बलपूर्वक मुकाबले करने में सक्षम नहीं है इस कारण प्रतिवादीगण को न्यायालय से वर्जित करवाने के अलावा दुसरा कोई विकल्प वादीगण के पास नहीं है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तो तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 की और से श्री आमीन शेख ने वकालतनामा प्रस्तुत कर राजीनामा तस्दीक करवाया। प्रतिवादी सख्या 2, 4 व 5 की विधिवत तामील के बाद हाजिर नहीं आने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी स. 6 पैरोकार राज ने राजहित निहित नहीं होना जवाब दिया। साक्ष्य वादी में वादी सलीम व मो. हूसैन ने सशपथ बयान प्रस्तुत कर अपने बयान कलम बद्ध करवाये एवं दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। प्रतिवादीगण की और से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई। चुंकि किसी भी प्रतिवादी द्वारा वाद के तथ्यों से इन्कारी नहीं की गई है इसलिए तनकीयात बरामद करने की आवश्यकता नहीं हुई ऐसे में वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं वाद को भी नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली में नहीं है। लिहाजा दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है जिसको डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:10:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

Scanned by CamScanner

आदेश

लिहाजा वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादगत खेत खसरान् में प्रतिवादी स. 1 ता 4 का नाम हटाया जाकर वादगत खेत खसरा नम्बर 109 रकबा 2.8960 हैक्टेयर में उतरी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि वादी स. 1 व 2 के ब.हि. बराबर व दक्षिणी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि वादी स. 3 के तथा खेत खसरा नम्बर 308 तादादी 2.8201 में उतरी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि वादी स. 4 व 5 के ब. हि. बराबर व दक्षिणी तरफ की 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स. 5 के नाम दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के विरूद्ध चिर निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादी सख्या 5 के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बीदासर को डिक्री की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 16 –02–2021 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * बीदासर जिला-चूरू * सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
श्योराम वर्मा
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:10:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner